In The Court of Sub-Judge I Jagdishpur, Bhojpur

RAKESH KUMAR-V

T.S–280/2021

भागसनी कुंवर वगैरह बनाम बुधन अहीर वगैरह

Date of Order or Proceeding	Order with the Signature of the Court	Office action taken with
08.08.2025	वादी की ओर से दिनांक–30.05.2025 को शपथ पत्र के साथ समर्थित एक आवेदन आदेश–22 नियम–4 वो दफा–151 सी0पी0सी0 के अंतर्गत दाखिल किया गया। उक्त आवेदन में यह तथ्य वर्णित है कि प्रतिवादी संख्या–2 फुलेश्वरी देवी की मृत्यु दिनांक–07.10.2023 को हो गई है, जिनका नाम विलोपित कर उनके स्थान पर उनके निम्नलिखित वारिसान–नारद यादव, भागीरथी यादव एवं लक्ष्मीना देवी का नाम दर्ज करना है। साथ में शपथ पत्र के साथ धारा–5 परिसीमा अधिनियम के अंतर्गत एक अन्य आवेदन दाखिल किया गया है कि प्रतिस्थापन आवेदन दाखिल करने में जानबुझकर विलम्ब नहीं किया गया है अतः विलंब के अवधि को माफ कर उपरोक्त आवेदन स्वीकृत किया जाए। साथ हीं एक अन्य आवेदन दिनांक–14.07.2025 को वास्ते एबेटमेंट सेट एसाईड करने हेतु दाखिल किया गया है और निवेदन किया गया है कि वादी द्वारा दाखिल प्रतिस्थापन सवाल करने में विलम्ब नजर आवें वो एबेटमेंट नजर आवें उसे सेट एसाईड करते हुए विलंब अवधि को माफ करते हुए प्रतिस्थापन आवेदन स्वीकृत किया जाए। प्रतिवादी सं0–1 द्वारा उपर्युक्त आवेदन का प्रतिउत्तर दाखिल किया गया है, जिसमें यह तथ्य वर्णित है कि प्रतिस्थापना आवेदन काफी विलंब से दाखिल किया गया है, जो कानूनन मेन्टेनेबुल नहीं है। चूंकि वादी नं0–2 के खिलाफ मुकदमा अवेट कर गया और वादी के तरफ से कोई अवेटमेंट सेट एसाईड का आवेदन भी नहीं दाखिल किया गया है। अतः निवेदन किया गया है कि वादी के आवेदन को खर्चा के साथ खारिज किया जाए। उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ता को सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया। अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रतिवादी संख्या–2 फुलेश्वरी देवी का नाम अभिलेख पर दर्ज है, जिनकी मृत्यु दिनांक–07.10.2023 को हो चुकी है। आवेदकगण का आवेदन समय सीमा के अंतर्गत नहीं है। अतः न्यायहित में आवेदगकगण का आवेदन विलंब को माफ करते हुए तथा अवेटमेंट सेट एसाईड करते हुए दिनांक–30.05.2025 को स्वीकृत किया जाता है। कार्यालय को निर्देश दिया जाता है कि प्रतिवादी संख्या–2 फुलेश्वरी देवी का नाम विलोपित कर उनके स्थान पर उनके वारिसान–नारद यादव, भागीरथी यादव एवं लक्ष्मीना देवी का नाम अंकित करें। वास्ते दिनांक–07.10.2025 प्रतिवादीगण के उपस्थिति हेतु। लेखापित अवर न्यायाधीश प्रथम जगदीशपुर, भोजपुर	

In The Court of Sub-Judge I Jagdishpur, Bhojpur

RAKESH KUMAR-V

T.S–280/2021

भागसनी कुंवर वगैरह बनाम बुधन अहीर वगैरह